

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

प्रलिस के लयः

आवश्यक वस्तु, आवश्यक वस्तु अधनललम

मेन्स के लयः

आवश्यक वस्तु अधनललम 1955 से संबंढतल मुददे

चरचा में क्यौं?

हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अरहर दाल की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है।

- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को साप्ताहिक आधार पर उपभोक्ता मामलों के विभाग के ऑनलाइन नगरानी पोर्टल पर 'स्टॉकहोल्डर संस्थाओं को उनके द्वारा रखे गए स्टॉक का डेटा अपलोड करने' का निर्देश दिया गया है।

अधनललम की आवश्यकता

- कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्रमुख तुर उत्पादक राज्यों के कुछ हिसों में अधिक वर्षा और जलभराव की स्थिति के कारण पछिले वर्ष 2021 की तुलना में [खरीफ़](#) बुवाई में धीमी प्रगत के बीच जुलाई 2022 के मध्य से तुर की कीमतों में वृद्धि हुई है।
- आगामी त्यौहारों के महीनों में उच्च मांग की वजह से अनुचित मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु, सरकार घरेलू और विदेशी बाजारों में दालों की समग्र उपलब्धता और नियंत्रित कीमतों को सुनिश्चित करने के लिये पूर्व-खाली कदम उठा रही है।
- व्यापारियों और जमाखोरों के कुछ वर्गों द्वारा अरहर दाल की कीमतों को बढ़ाने के प्रयासों को सीमित करने के लिये, 'प्रतिबंधित बिक्री' का सहारा लेकर एक कृत्रिम कमी पैदा करना शामिल है।
 - कृत्रिम कमी कीमतों और/अथवा मांग को बढ़ाने के लिये विशेष उत्पादों (या सेवाओं) के उत्पादन की उद्देश्यपूर्ण सीमा है।

आवश्यक वस्तु अधनललम 1955:

- पृष्ठभूमि:**
 - ECA अधनललम, 1955 ऐसे समय में बनाया गया था जब देश खाद्यान्न उत्पादन के लगातार निम्न स्तर के कारण खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रहा था।
 - तत्कालीन भारत अपनी खाद्य जरूरतों की पूर्ति के लिये आयात और सहायता (जैसे पीएल-480 के तहत अमेरिका से गेहूँ का आयात) पर निर्भर था।
 - खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिये वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधनललम लाया गया था।
- आवश्यक वस्तु:**
 - आवश्यक वस्तु अधनललम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है।
 - धारा 2 (ए) में कहा गया है कि "आवश्यक वस्तु" का अर्थ अधनललम की अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तु है।
- कानूनी कषेत्राधिकार:**
 - अधनललम केंद्र सरकार को अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार देता है।
 - केंद्र, यदि संतुष्ट है कि जनहति में ऐसा करना आवश्यक है, तो राज्य सरकारों के परामर्श से किसी वस्तु को आवश्यक रूप में अधिसूचित कर सकता है।
- उद्देश्य:**
 - ECA 1955 का उपयोग केंद्र को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में व्यापार के राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण को सक्षम करने की अनुमति देकर मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिये किया जाता है।

■ **प्रभाव:**

- किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके, सरकार उस वस्तु के **उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है** और स्टॉक सीमा लगा सकती है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

- **आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20** में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ECA 1955 के तहत सरकारी हस्तक्षेप ने अक्सर कृषिव्यापार को विकृत किया है, जबकि यह मुद्रास्फीति को रोकने में पूरी तरह से अप्रभावी रहा।
- इस तरह के हस्तक्षेप से रेंट सीकगि और कुप्रबंधन के अवसर बढ़ते हैं।
 - रेंट सीकगि अर्थशास्त्रियों द्वारा भ्रष्टाचार सहित अनुत्पादक आय का वर्णन करने के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है।
- व्यापारी अपनी सामान्य क्षमता से बहुत कम खरीदारी करते हैं और किसानों को अक्सर खराब होने वाली फसलों के अतिरिक्त उत्पादन के दौरान भारी नुकसान होता है।
- इसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर मूल्य नहीं मिल पा रहा था।
- इन मुद्दों के चलते संसद ने **आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधियक, 2020** पारित किया।
- हालाँकि किसानों के वरिध के कारण सरकार को इस कानून को रद्द करना पड़ा।

आगे की राह

- ECA 1955 तब लाया गया था जब भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। हालाँकि अब भारत में अधिकांश कृषिवस्तुओं में अधिशेष की स्थिति है और ECA 1955 में संशोधन सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने तथा व्यवसाय करने में आसानी के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/essential-commodities-act-of-1955>

